

107 द.प्र.सं. आदेश पत्रक

①

M-21 / 2017

प्रथम पक्ष - मो० जुनेदे अहमद
बनाम
द्वितीय पक्ष - बमाम
राम किशोर भगत

25/2/17

अभिलेख संख्या :- एम. 21 / 2017 धारा - 107 द.प्र.सं.

थाना प्रभारी खूँटी के अप्राथमिकी संख्या 11/17


68
25/2/17

प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि :-

जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेगा जिससे परिशांति भंग हो जायेगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।

अतः मैं अनुमंडल दण्डाधिकारी, खूँटी उक्त पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर संतुष्ट होकर द.प्र.सं. की धारा 107 कि अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करता हूँ। द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को एक हजार रुपये का बंध-पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।

अभिलेख दिनांक :- 11/3/17 को उपस्थापित करें।


अनुमंडल दण्डाधिकारी
खूँटी

(3)

6/9/17

प्रथम पक्ष के एक अदालत उपाय विचार
के एक अदालत आदेश के साथ उपाय उपाय
आदि कार्य का कार्य प्रारंभित पाया।

मिडल अडमिनिस्ट्रेशन का कार्य विचार

मिडल - 16/9/17 को प्रारंभित

मेन
6/9/17

16/10/17

प्रथम पक्ष के एक अदालत उपाय, विचार
एक अदालत आदेश के साथ उपाय प्रारंभित
दि 2/10/17 को प्रारंभित

4/11/17

विपक्ष के एक अदालत आदेश के साथ उपाय,
प्रथम पक्ष के एक अदालत उपाय प्रारंभित
14/10/17 को प्रारंभित

14/10/17

विपक्ष के एक अदालत आदेश के साथ उपाय

मिडल अडमिनिस्ट्रेशन का कार्य
मेन
14/10/17

25/11/17

समय सीमा समाप्त होने के कारण कार्य की कार्यवाही
समाप्त किया गया

25/11/17